रीख क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 01/2025 बअनवान हिम्मतसिंह बनाम सरकार वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.05.2025	**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर** पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस. **आदेश** उपस्थिति दिनांक 01.05.2025 1. अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता श्री हाजीखान 2. रेस्पोडेंटस की तरफ से राजकीय अभिभाषक श्री हरीराम चौधरी अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष को विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने पत्रावली पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटगण के पिता की पुश्तैनी कब्जे काश्त व समरी सेटलमेंट की भूमि मौजा कोठा के वर्तमान खसरा संख्या 222 रकबा 13.3809 हैक्टेयर, खसरा संख्या 256 रकबा 23.8493 हैक्टेयर, खसरा संख्या 258 रकबा 10.1530 हैक्टेयर, खसरा संख्या 259 रकबा 09.7080 हैक्टेयर, 261 रकबा 07.1192 हैक्टेयर, खसरा संख्या 262 रकबा 05.5983 हैक्टेयर, खसरा संख्या 263 रकबा 01.4158 हैक्टेयर व खसरा संख्या 268 रकबा 03.5920 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। समरी सेटलमेंट के अनुसार अपीलांटगण के वालिद का काश्त कब्जा खसरा संख्या 455, 456 व 370 पर था। प्रबन्ध विभाग वालों ने दौराने पैमाईश मौके पर पैमाईश की थी और वक्त पैमाईश उक्त भूमि पर कब्जा काश्त होते हुए भी गलत रूप से सिवायचक इन्द्राज कर दिया गया। अपीलाधीन आराजी पर अप. ीलांट का कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्तावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी में रद्दोबदल करने तथा मौके की स्थिति में परिवर्तन करने पर उतारू हैं यदि रेस्पोडेंटस अपने उदेश्य	

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

में सफल हो जाते हैं तो अपीलांट की अपील का उद्देश्य समाप्त हो जायेगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने पत्रावली पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांट का कोई हक नियत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों विंदु रेस्पोडेंटस के पक्ष में हैं। अतः अपीलांटस की अपील को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की अपील पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अपीलाधीन आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है। अपीलांट अपीलाधीन आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत से काश्त की गई जिसके आधार पर अपीलाधीन आराजी में अपीलांट के कोई हक पैदा नहीं होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया प्रतीत होता है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलांटगण के पक्ष में नहीं होकर रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांटगण द्वारा पेश अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, फतेहगढ के राजस्व आवेदन संख्या 68/2024(52/2024) बउनवान

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अमरखां वगैरह बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 08.11.2024 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश सरे इजलास दिनांक 01.05.2025 को सुनाया गया।

1/5/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर